प्रेषक,

शिवराज कुमार यादव,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ दिनांक 23 अप्रैल, 2024**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत-2401-789-05-खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास की योजना में आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-15.30 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-04/बजट/2024-25, दिनांकः01.04.2024 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्यान-83 के अधीन खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-05-खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता विकास के मानक मद संख्या 44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय में वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि रू0-15.30 लाख (रूपये पन्द्रह लाख तीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर निम्नालिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-01/2024/बी-1-294/दस-2024-231/ 2024, दिनांकः 04.03.2024 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय, अन्यथा की स्थिति में विभागाध्यक्ष, वित्त नियंत्रक एवं आहरण वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस आशय का प्रमाण-पत्र निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जहाँ आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही उपरोक्त मदों में व्यय किया जायेगा।

(3) खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित मदों के अतिरिक्तग किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा और न ही एक मद से दूसरे मद में इसका व्यायवर्तन किया जायेगा। भिन्न स्थिति होने पर वित्तीय अनियमितता माना जायेगा, जिसके लिए

.....2/-

http://shasanadesh.up.gov.in

निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डकबुक के नियमों/प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।

(5) स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 15,30, 000(रुपये पन्द्रह लाख तीस हजार मात्र को चालू वित्तीय (व्ययक मे-के आय 20242025 वर्ष**अनुदान संख्या** 083**लेखा शीर्षक** खाद्य प्रसंस्करण 2401007890500 उद्यमिता विकास**मानक मद** प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय के नामे डाला जायेगा। 44

3- यह आदेश वित्त -अनुभाग (व्ययक-आय)1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024-बी/1-294-दस/2024-231/2024, दिनाँक -04मार्च-, में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत 2024 निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

संख्या-161/2023(1)/58-2-2023, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कारण, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)), उत्तउर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(पूर्णिमा बेदार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in